लोकतंत्र (Democracy)

लोकतंत्र से तात्पर्य है लोगों का तंत्र अर्थात् जनता का शासन | अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्रात्मक शासन जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। * भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। इसे अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली या प्रतिनिधि प्रणाली कहा जाता है।

Democracy means the system of the people i.e. the rule of the people. According to Abraham Lincoln, democratic rule is the rule of the people, for the people and by the people. * In India, the people rule through their elected representatives. This is called indirect democratic system or representative system.

लोकतंत्र (Democracy)

⇓

लोगों का तंत्र / System of people.

⇓

भारत → लोग → सरकार बनाते हैं।

→ केंद्र सरकार (Central Govt.) → लोकसभा → MP's

→ राज्य सरकार (State Govt.) → विधानसभा ⇓ MLA's

लोकसभा, विधानसभा > प्रत्यक्ष निर्वाचन (Direct election)

→ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र (Indirect Democracy)

⇓ भारत में प्रतिनिधियों के माध्यम शासन

Representatives → MP's / MLA's

अब्राहम लिंकन ⇒ लोगों का शासन, लोगों के लिए, लोगों द्वारा।

Rule of the people, four the people, By the people.

(गणराज्य (Republic)

भारत एक गणराज्य हैं। इससे तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा न कि वंशानुगत | *

India is a republic. This means that the head of state of India will be elected and not hereditary. * → ब्रिटेन → राष्ट्राध्यक्ष → राजा/रानी।
↳ पद वंशानुगत

राष्ट्राध्यक्ष (Head of state) ⇒ President (राष्ट्रपति)
↳ निर्वाचन (Election)
↳ प्रत्येक 5 वर्ष / Every 5 year

जिन देशों में राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन (election) वह देश (country) गणराज्य (Republic) देश होता है।

संविधान की प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को अधोलिखित न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता सुनिश्चित कराने का संकल्प व्यक्त किया गया है। यथा- The Preamble of the Constitution has expressed the resolve to ensure the following justice, freedom and equality to its citizens. As-

न्याय (Justice) - तीन प्रकार के हैं; यथा - सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक। Justice - There are three types as- social, economic and political.

प्रस्तावना (Preamble) → **3 प्रकार का न्याय / 3 ways of justice**

(1) सामाजिक न्याय (social justice)
(2) आर्थिक न्याय (Economic justice)
(3) राजनीतिक न्याय (Political justice)

→ रूस (Russia) / USSR

स्वतंत्रता (Liberty) – विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। (Liberty) of thought, expression, belief, religion and worship.

विचार (Thought)
अभिव्यक्ति (expression)
विश्वास (Belief)
धर्म (Religion)
उपासना (worship)

Liberty (स्वतंत्रता)
↳ 5 प्रकार

Freedom (स्वतंत्रता)
↳ 6 प्रकार

समानता (Equality)—प्रतिष्ठा एवं अवसर की।)

Equality - of dignity and opportunity.)

↳ 2 प्रकार

⇓ समान अवसर
↳ रोजगार (employment) ⇒ Govt. job

प्रस्तावना द्वारा अपने सभी नागरिकों में ऐसी बन्धुता (Fra- ternity) बढ़ाने का संकल्प लिया गया है जो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखण्डता' को सुनिश्चित करने वाली है। * ' और अखण्डता' शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है।*

The Preamble has resolved to promote such fraternity among all its citizens which ensures the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. * The words 'freedom and integrity' have been added by the 42nd Constitutional Amendment.*

प्रस्तावना द्वारा अपने सभी नागरिकों में ऐसी बन्धुता (Fra- ternity) बढ़ाने का संकल्प लिया गया है जो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखण्डता' को सुनिश्चित करने वाली है। * ' और अखण्डता' शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है।*

The Preamble has resolved to promote such fraternity among all its citizens which ensures the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. * The words 'freedom and integrity' have been added by the 42nd Constitutional Amendment.*

→ एकता, बंधुता (भाईचारा), अखण्डता → जिसे कभी तोड़ा न जा सके।
(Unity) (Fraternity) (Integrity)

→ स्वतंत्रता (Liberty)
→ समानता (equality)
→ बंधुत्व (Fraternity)

ये शब्द फ्रांस की क्रांति से लिये गये।
Taken from French Revolution.

⇒ विश्व का पहला पंथनिरपेक्ष देश - अमेरिका (USA)
First secular country in the world →

(संघ और उसका राज्य क्षेत्र (The Union and Its Territory)

संविधान का भाग-1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में है। अनुच्छेद 1 के अनुसार- भारत राज्यों का एक संघ (a Union of States) है।

(Part-1 of the Constitution, Articles 1 to 4 are about the Union and its territories. According to Article 1, India is a Union of States.

संघ और उसका राज्य क्षेत्र (The union and It's Territory)

↳ Part (भाग) → I, Art. 1-4

Art.1 → India that is bharat "A union states".

अनुच्छेद इंडिया यानि कि भारत "राज्यों का संघ है।"

→ 28 राज्य ✓

→ 8 U.T's ✓

Art.2

अनुच्छेद-2- संसद को संघ में नये राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है।

Article-2- Empowers Parliament to make laws for the entry or establishment of new states in the Union.

Art.2 → संसद को यह शक्ति/अधिकार देता है कि वह संघ में नये राज्यों का प्रवेश (entry) या स्थापना कर सकती है।

भारत के बाहर

Ex. सिक्किम

→ गोवा

अनुच्छेद-3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत से किसी नये राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है

According to Article-3, Parliament can form a new state and change the area, boundary or name of an existing state by a simple majority.

संसद द्वारा अनुच्छेद-2 अथवा अनुच्छेद-3 के अन्तर्गत बनायी गयी विधि अनु. 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जायेगी (अनुच्छेद-4)

A law made by Parliament under Article 2 or Article 3 shall not be deemed to be a law amending the Constitution for the purposes of Article 368 (Article 4)

भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन Reorganization of states on linguistic basis

स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग के मद्देनजर संविधान सभा अध्यक्ष डा. राजेन्द्र प्रसाद ने 27 नवम्बर, 1947 को न्यायमूर्ति एस. के. धर की अध्यक्षता में चार सदस्यीय' भाषायी प्रान्त आयोग' (Linguis- tic Provinces Commission) का गठन किया।

After independence, in view of the demand for reorganization of states on linguistic basis, Constituent Assembly Chairman Dr. Rajendra Prasad constituted a four-member 'Linguis- tic Provinces Commission' under the chairmanship of Justice S.K. Dhar on 27 November 1947.

आयोग ने 10 दिसम्बर, 1948 को प्रस्तुत अपने रिपोर्ट में भाषा की जगह प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया।

In its report presented on 10 December 1948, the commission suggested reorganization of states on the basis of administrative, geographical, financial and developmental convenience instead of language.

जवाहर लाल नेहरु, बल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभि सीता रमैया (JVP) की तीन सदस्यीय समिति गठित किया था। इस समिति ने भी 1 अप्रैल, 1949 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया।

A three-member committee of Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and Pattabhi Sita Ramaiya (JVP) was formed. This committee also opposed the reorganization of states on linguistic basis in its report presented on 1 April 1949.

तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य के गठन की माँग का समर्थन करते हुए पोट्टी श्री रामुल्लू ने आमरण अनशन आरम्भ कर दिया, जिनकी 56 दिनों बाद 15 दिसम्बर, 1952 को मृत्यु हो गयी।

Supporting the demand for formation of a separate state on the basis of language for Telugu speakers, Potti Sri Ramulu started a fast unto death, who died 56 days later on 15 December 1952.

फलस्वरुप प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आन्ध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दिया। जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। यह भाषायी आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था।*

As a result, Prime Minister Jawaharlal Nehru announced the formation of a separate state for Telugu speakers, Andhra Pradesh. It was formed on 1 October 1953. It was the first state to be formed on linguistic basis.*

तेलुगु भाषियों के लिए पृथक राज्य के गठन के पश्चात अन्य भाषा-भाषियों द्वारा अलग राज्य की माँग भी तेज हो गयी; जिस पर विचार के लिए 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय अन्य सदस्य थे-

After the formation of a separate state for Telugu speakers, the demand for a separate state by other language speakers also intensified; for which a three-member committee headed by Justice Fazal Ali was considered in 1953-

के.एम. पनिक्कर तथा हृदय नाथ कुंजरु) 'राज्य पुनर्गठन आयोग' (The States Re-orga- nization Commission) गठित किया गया। इस आयोग ने 30 दिसम्बर, 1955 को अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार सौंप दी। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम-1956 पारित किया गया।

K.M. Panikkar and Hriday Nath Kunzru) 'The States Reorganization Commission' was formed. This commission submitted its report to the Central Government on 30 December 1955. On the basis of this report, the States Reorganization Act-1956 was passed

इस अधिनियम के अनुसार संविधान में 7 वाँ संशोधन किया गया और मूल संविधान के राज्यों के चार श्रेणी, यथा- क, ख, ग तथा घ को समाप्त कर 14 राज्यों और 6 केन्द्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया।

According to this Act, the 7th amendment was made in the Constitution and the four categories of states of the original Constitution, namely A, B, C and D, were abolished and 14 states and 6 Union Territories were formed.

फजल अली आयोग ने राज्यों के इस वर्गीकरण को समाप्त कर भारतीय संघ को 16 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित करने का सुझाव दिया था।

According to this Act, the 7th amendment was made in the Constitution and the four categories of states of the original Constitution, namely A, B, C and D, were abolished and 14 states and 6 Union Territories were formed.

नये राज्यों का गठन	
राज्य	**गठन वर्ष**
• आन्ध्र प्रदेश *	1 अक्टूबर, 1953 ई.
• गुजरात *	1 मई, 1960 ई.
• नगालैंड	1 दिसम्बर, 1963 ई.
• हरियाणा	1 नवम्बर, 1966 ई.
• हिमाचल प्रदेश	25 जनवरी, 1971 ई.
• मेघालय मणिपुर, त्रिपुरा *	21 जनवरी, 1972 ई.
• सिक्किम *	16 मई, 1975 ई.
• मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश	20 फरवरी, 1987 ई.
• गोवा	30 मई, 1987
• छत्तीसगढ़ *	1 नवम्बर, 2000
• उत्तराखण्ड *	9 नवम्बर, 2000
• झारखण्ड *	15 नवम्बर, 2000
• तेलंगाना *	2 जून, 2014

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत 31 अक्टूबर, 2019 को दो नये केन्द्र शासित प्रदेश प्रवर्तन में आये।

Under the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019, two new Union Territories came into force on 31 October 2019.

26 जनवरी, 2020 से "दमन एवं दीव और दादरा नागर हवेली" संयुक्त रूप से केन्द्र शासित प्रदेश बन गये।

From 26 January 2020, "Daman and Diu and Dadra Nagar Haveli" jointly became Union Territories.

इस प्रकार वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 संघ शासित क्षेत्र है।

Thus, at present there are a total of 28 states and 8 Union Territories in India.

69वें संविधान संशोधन अधि. 1991 द्वारा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का नाम बदल कर 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' कर दिया गया।

The 69th Constitutional Amendment Act, 1991 changed the name of the Union Territory of Delhi to 'National Capital Territory of Delhi'.

(नागरिकता (Citizenship)

भारतीय संविधान का भाग-2, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है।

Part-2 of the Indian Constitution, Articles 5 to 11 are about citizenship. India has provision for single citizenship like Britain. America has dual citizenship.

अनुच्छेद-11 के अन्तर्गत संसद को नागरिकता के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति दी गयी है। जिसके तहत् संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में संशोधन किया गया।

Under Article 11, the Parliament has been given the power to make laws regarding citizenship. Under which the Indian Citizenship Act 1955 has been passed by the Parliament. This Act was amended in the years 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 and 2019.

इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता निम्नलिखित 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है।

According to this Act, Indian citizenship can be obtained in the following 5 ways.

1. जन्म से (By Birth)

कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, भारत का नागरिक होगा।

Any person born in India on or after 26 January 1950 will be a citizen of India.

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1986' पारित किया गया। जिसके अनुसार- जन्म से नागरिकता के लिए व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना अब आवश्यक है।

Citizenship Amendment Act, 1986 was passed. According to which, for citizenship by birth, it is now necessary that at the time of birth of the person, either of his parents was a citizen of India.

2. वंशपरम्परा से (By Descent)

भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ई. को या उसके बाद जन्म लेनें वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है,

A person born on or after 26 January 1950 in any country outside India can be a citizen of India,

यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्में व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है।

if at the time of his birth either of his parents is a citizen of India. The provision of granting citizenship to a person born abroad on the basis of mother's citizenship has been made by the Citizenship Amendment Act 1992.

3. पंजीकरण से (By Registration)

निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। यथा-

Any of the following persons can acquire Indian citizenship through registration. As-

पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 6 माह (अब 5 वर्ष) पूर्व भारत में निवास करने वाला व्यक्ति।

A person residing in India for 6 months (now 5 years) prior to the date of application for registration.

ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो किन्तु जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो।/Persons who were born in India but are residing in any country outside India.

ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी है या करने वाली है।/A foreign woman who has married or is about to marry an Indian.

भारतीय नागरिकों के अवयस्क (Minor) बच्चे।

Minor children of Indian citizens.

4. देशीयकरण से (By Naturalisation)

कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है तथा अपने देश की नागरिकता का परित्याग करके, भारत सरकार को इसकी सूचना दे दिया हो और भारतीय नागरिकता के आवेदन पूर्व कम से कम एक वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो, /Any foreign national who is an adult and has renounced the citizenship of his country and has informed the Government of India about it and has been living in India continuously for at least one year before applying for Indian citizenship,

इसके साथ-साथ एक वर्ष से पूर्व भी कुल मिलाकर कम से कम 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो एवं संविधान में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तो वह भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाणपत्र प्राप्तकर भारत का नागरिक बन सकता है।

Along with this, he has also lived in India for a total of at least 7 years before one year and has acquired good knowledge of any one of the languages mentioned in the Constitution, then he can become a citizen of India by obtaining a certificate of naturalization from the Government of India.

5. भूमि के अर्जन द्वारा (By Acquisition of Land)

यदि भारत सरकार द्वारा किसी नये भू-भाग को अर्जित कर भारत में उसका विलय किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।

If any new territory is acquired by the Government of India and merged into India, then the people residing in that area automatically get Indian citizenship.

नागरिकता का अन्त (The Abolition of citizenship)

किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का अन्त निम्न तीन प्रकार से हो सकता है- /The citizenship of an Indian citizen may end in the following three ways-

(i) किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर

On acquiring the citizenship of another country

(ii) नागरिकता का परित्याग करने पर, या

On renouncing the citizenship, or

(iii) सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर

On being deprived of citizenship by the government

भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है-

The Government of India may deprive a person of Indian citizenship on any of the following grounds-

(i) संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर,

For showing disloyalty to the Constitution,

(ii) युद्धकाल में शत्रु की सहायता करने पर,

For aiding the enemy during war,

(iii) गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर,

For acquiring citizenship by wrong means,

(iv) पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के

or acquiring citizenship by registration or naturalization

5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर।

On being sentenced to 2 years imprisonment by any other country within 5 years.

(v) किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करनेपर, या

On an Indian woman marrying a foreign man, or

(vi) लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर।

On staying outside India for 7 continuous years.

अनु० 5, संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता (Citizenship at the Commence- ment of the Constitution) के बारे में है।

अनुच्छेद-6, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार

Article 6, rights of citizenship of persons coming to India from Pakistan

अनुच्छेद-7, पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार (Right of citizenship of certain mi- grants to Pakistan) के बारे में है।

Article 7 is about the Right of citizenship of certain mi- grants to Pakistan.

अनुच्छेद-8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार (Right of citizenship of certain persons of India Origin residing Outside India) के सम्बन्ध में हैं।)

Article 8 deals with the right of citizenship of certain persons of India Origin residing Outside India.

अनुच्छेद-9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छया किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।*

According to Article 9, when a person voluntarily becomes a citizen of a foreign state, his Indian citizenship automatically ends.*

अनुच्छेद-10 के अनुसार किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन सिर्फ संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकेगी किसी अन्य प्रकार से नहीं।

According to Article 10, the citizenship of a person can be taken only by a parliamentary law and under the provisions of the law and in no other way.